भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5938
जिसका उत्तर मंगलवार 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति

5938.श्री आर गोपालकृष्णन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य-वार क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, हां।

(ख): सरकार ने वर्ष 2016 में नेशनल केपिटल गुड्स पॉलिसी आरंभ की। यह नीति इस विचार से तैयार की गई है कि कोई विनिर्माण कार्यकलापों में केपिटल गुड्स के योगदान के भाग को वर्ष 2025 तक 12% से बढ़ाकर 20% किया जाए। इस नीति का उद्देश्य केपिटल गुड्स का उत्पादन और निर्यात स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए भारत को विश्व के शीर्ष केपिटल गुड्स उत्पादनकारी राष्ट्रों में से एक राष्ट्र बनाना है। इस नीति में भारतीय केपिटल गुड्स की प्रौद्योगिकी गहनता में सुधार लाते हुए इसको उन्नत स्तर तक पहुँचाने की भी परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति की प्रमुख संस्तुतियां निम्नवत हैं;

1) **मेक इन इंडिया पहलः** प्रमुख केपिटल गुड्स सब-सेक्टरों जैसे कि मशीन टूल्स, वस्त्र मशीनरी, अर्थमूविंग, निर्माण और खनन मशीनरी, हेवी इलेक्ट्रिकल उपस्कर, प्लास्टिक मशीनरी, प्रोसेस प्लांट उपस्कर, धातुकर्म मशीनरी और डाइज, मॉलड्स तथा प्रैस उपकरण, मुद्रण एवं पैकेजिंग मशीनरी और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी का संयोजन 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत प्राथमिक सेक्टरों के रूप में किए जाने की परिकल्पना।
2) भारत में निर्मित केपिटल गुड्स के निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टि से **'भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता स्कीम (एचआईईएमडीए)'** के लिए प्रायोगिक तौर पर एक समर्थकारी स्कीम बनाना। इसके लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) और ऐसे अन्य संगठनों की सहायता से केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए एक व्यापक ब्रांडिंग योजना विकसित करनी भी आवश्यक होगी।
3) **मौजूदा केपिटल गुड्स स्कीम को सुदृढ़ करनाः** यह नीति प्रौद्योगिकी, कौशल एवं क्षमता निर्माण, प्रयोक्ता संवर्धनात्मक कार्यकलापों, हरित इंजीनियरी और ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण एवं क्लस्टर विकास सहित संघटक का एक सेट जोड़कर बजटीय आबंटन और उसके दायरे को बढ़ाने की सिफारिश करती है।

4) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी अंतरण, आईपीआर खरीद डिजाइन एवं ड्राइंग को वित्तपोषित करने तथा साथ ही साथ केपिटल गुड्स की इन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत **प्रौद्योगोकी विकास निधि की शुरूआत करना।**

5) **'केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए स्टार्ट-अप केन्द्र' का सृजन करना,** जिसका उपयोग भारी उद्योग विभाग तथा केपिटल गुड्स के उद्योगों/उद्योग एसोसिएशन द्वारा 80:20 के अनुपात में किया जाएगा ताकि विनिर्माण और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में आशाजनक स्टार्ट-अप्स को तकनीकी, व्यापार और वित्तीय सहायता संसाधनों और सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जा सके। इन सेवाओं का ध्यान स्टार्ट-अप्स वृद्धि को सहेजने से पूर्व, सहेजने के दौरान और सहेजने के बाद के चरणों पर संकेंद्रित होना चाहिए ताकि इनकी ठोस नींव तैयार हो सके।

6) **अनिवार्य मानकीकरण,** जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योग के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मानकों को परिभाषित किया जाना और अन्य मानकों के न होने पर अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के मानकों को अपनाया जाना, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों, परीक्षण/अनुसंधान संस्थानों और संबंधित उद्योग/उद्योग एसोसिएशनों सहित मानक विकासकारी संगठनों (एसडीओ) के साथ मानकों के संवर्धन तथा तैयार करने के लिए औपचारिक विकास कार्यक्रम बनाना शामिल है।

7) **स्तरोन्नयन, विकास, परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना** जैसे कि केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) और केपिटल गुड्स के मुख्य सब-सेक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएमटीआई जैसे 10 और अधिक संस्थानों की स्थापना करना।

8) **कौशल विकासः** केपिटल गुड्स कौशल परिषद के साथ एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम/स्कीम विकसित करना और केपिटल गुड्स सेक्टर के कौशल विकास के लिए 5 क्षेत्रीय अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना।

9) **क्लस्टर अप्रोचः** प्रतिस्पर्धात्मकता के अहम संघटकों जैसे कि गुणवत्ता प्रबंधन, संयंत्र अनुरक्षण प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, लागत प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और क्षय से बचने पर बल देते हुए क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से विशेषकर केपिटल गुड्स विनिर्माणकारी लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीमें उपलब्ध कराना।

10) **मौजूदा केपिटल गुड्स विनिर्माणकारी इकाइयों का आधुनिकीकरण,** गुणवत्तायुक्त उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी पर आधारित केपिटल गुड्स के सब-सेक्टरों में विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों का आधुनिक कंप्यूटर नियंत्रित और ऊर्जा दक्ष मशीनरियों से आधुनिकीकरण।

नीति का ब्यौरा भारी उद्योग की वेबसाइट dhi.nic.in पर उपलब्ध है।

तमिलनाडु सहित नेशनल केपिटल गुड्स पॉलिसी के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित हैः

दिल्ली

1. टेक्सटाइल मशीनरी के लिए आईआईटी दिल्ली में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)।
2. उद्योग 4.0 के लिए सीईएफसी हेतु मैसर्स ऑटोमेशन ऐसोशिएसन ऑफ इंडिया आईआईटी दिल्ली का सार्वजनिक इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी)।
3. हैवी ड्यूटी उच्च विश्वसनीय इलेक्ट्रिकल विशिष्ट पावर केबलों के निर्माण पर एलाईड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी)।

4. स्वदेशी रुप से निर्मित टंगस्टन कार्बाइड पाउडर के उपयोग से हाइड्रो टरबाइनों के लिए कटिंग एज रोबोटिग लेजर कलेडिंग टेक्नोलोजी पर इंडस्ट्रियल प्रोसेर्स्स एंड मेटेलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा टीएएफपी।

गुजरातः

5. साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलोजिकल अपलिफ्टमेंट (एसईटीयू) फाउंडेशन द्वारा बरदौली, सूरत में सार्वजनिक इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी)।

हरियाणाः

6. मैसर्स कोरस इंजीनियरिंग सोल्यूसंस प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरगढ़ द्वारा स्किल डब्लपमेंट ऑफ डिजाइन इंजीनियर्स के लिए सार्वजनिक इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी)।

झारखंडः

7. आईएसएम धनवाद की संस्थागत सहायता के साथ एचईसी द्वारा हाइड्रोलिक एक्सकावेटर के विनिर्माण हेतु एचईसी, रांची में सीओई।
8. सीईएफसी प्रथम फाउंडेशन द्वारा एचईसी, रांची में सीईएफसी।

कर्नाटकः

9. 450 आरपीएम के शटल रहित रेपियर्स के विकास हेतु टीएमएमए द्वारा सीएमटीआई, बेंगलूरु में उत्कृष्टता केन्द्र (सीईओ)।
10. थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के डिजाइन विकास के लिए विप्रो थ्री डी के साथ आईआईएससी, बेंगलूरु से सीओई का प्रस्ताव।
11. कौशल विकास के लिए एचएमटी एमटीएल, बेंगलूरु में सार्वजनिक इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी)।
12. सीईएफसी उद्योग 4.0 के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु का सीईएफसी।
13. उद्योग 4.0 के लिए सीएमटीआई वेंगलूरु का सीईएफसी।
14. सीएमटीआई वेंगलूरु द्वारा प्रिसिसन मेट्रोलॉजी लेबोरेट्री के आधुनिकीकरण हेतु सीईएफसी।
15. एनएमटीसी परियोजना के लिए ₹6.6 करोड़ और एसटीडीएफ परियोजना के लिए ₹45.05 करोड़ की लंबित निधि की आवश्यकता के अतिरिक्त सीएमटीआई की सेसंर टेक्नोलॉजी फसेलिटि (एसटीडीएफ) परियोजना के लिए ₹7.75 करोड़ और सीएमटीआई, बेगलूरु की नैनो मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर (एनएमटीसी) परियोजना के लिए ₹18.46 करोड़ की लागत वृद्धि।
16. कर्नाटक सरकार द्वारा तुम्कुर, कर्नाटक के निकट इंटिग्रेटिड मशीन टूल्स पार्क में एकीकृत उद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधा (आईआईआईएफ)।
17. फोर गाइडवे सीएनसी लेथ, बेगलूरु के विकास पर एचएमटी एमटीएल द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी)।
18. वाई एक्सिस एसबी सीएनसी 30 टीएमवाई और मैन स्पिंड्ल पर इंटिग्रेड हाई प्रिंसिसन सी एक्सिस के साथ टर्न मिल सेंटर, बेंगलूरु के विकास पर एचएमटी एमटीएल द्वारा टीएएफपी।

महाराष्ट्र

19. टीएजीएमए द्वारा टूल्स एंड डाइज इंडस्ट्रीज के लिए पुणे के निकट चाकन में सार्वजनिक इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी)।
20. मैसर्स एसएलके सीएसआर फाउंडेशन, समूह और अन्य, पुणे द्वारा उद्योग 4.0 पर सीईएफसी।

तमिलनाडुः

21. मशीन टूल्स एंड प्रोड्क्शन टेक्नोलॉजी के लिए 11 उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु आईआईटी, मद्रास में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)।
22. तीन बेल्डिंग प्रौद्योगिकियों के लिए पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर में सीओई।
23. औद्योगिक और जल आपूर्ति अनुप्रयोगों हेतु स्मार्ट सबमर्सीबल (6इंच) पंपिंग समाधानों पर एसआईटीएआरसी द्वारा कोयम्बटूर में सीओई।

उत्तरप्रदेशः

24. सिरामिक शैलिंग टेक्नोलॉजी के साथ टिटानियम कास्टिंग के विकास और वाणिज्यिकीकरण पर पीटीसी इंडस्ट्रिज लिमिटेड, लखनऊ द्वारा टीएएफपी।
25. उन्नत विनिर्माण के लिए आईआईटी खड़गपुर में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)।

*****